पूर्वोत्तर सीमा रेल

(निर्माण)

महाप्रबंधक (कार्मिक)/निर्माण का कार्यालय,
मालीगांव , गुवाहाटी-781011, असम

पुनर्नियोजन अधिसूचना

सं. ई283/नि/अ-राज/पुनर्नियोजन

Date: 29-06-2026

सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों के संविदा के आधार पर पुनर्नियोजन हेतु अधिसूचना

क्रम सं.	विवरण	तिथि
(i)	वेबसाइट पर अधिसूचना प्रकाशित होने की तिथि	30 जून, 2026
(ii)	ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि	01 जुलाई, 2026
(iii)	ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि	20 जुलाई, 2026

1. रेलवे बोर्ड के **आरबीई संख्या 96/2024**, पत्र संख्या E(NG)II/2024/RC-4/9 दिनांक 15.10.2024 तथा **आरबीई संख्या 115/2024**, पत्र संख्या E(NG)II/2024/RC-4/9 दिनांक 31.12.2024 के प्रावधानों के अनुसार, पूर्वोत्तर सीमा रेल, निर्माण संगठन की विभिन्न इकाइयों में सेवा की आवश्यकता की पूर्ति हेतु **"सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पुनर्नियोजन योजना"** के अंतर्गत निर्धारित मासिक पारिश्रमिक पर विभिन्न पदों/श्रेणियों में पुनर्नियोजन के लिए / इच्छुक सामान्य सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसके लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तों का पूरा किया जाना आवश्यक होगा—

i) **आयु :** अभ्यर्थी की आयु **20 जुलाई, 2026** को **64 वर्ष से कम** होनी चाहिए।

(ii) **वेतन स्तर : (सेवानिवृत्ति के समय)** अभ्यर्थी **वेतन स्तर–1 से वेतन स्तर–9** के पद से सेवानिवृत्त होना चाहिए।

2. निम्नलिखित विभागों में सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों का पुनर्नियोजन प्रस्तावित है—

(i) इंजीनियरिंग (ii) विद्युत & (iii) सिगनल एवं दूरसंचार

3. विभागवार रिक्तियों का विवरण:-

क्र.सं.	विभाग	कुल रिक्तियाँ	
		श्रेणी	स्तर–1 से 9
1	इंजीनियरिंग	जेई/एसएसई/नक्शा(DRG)	4
2	विद्युत	एसएसई / विद्युत	2
		एसएसई / विद्युत	1
		टैक-I	2
		टैक-II	2
		टैक-III	2
3	सिगनल एवं टेली	एसएसई / सिगनल एवं टेली	2
		जेई /सिगनल एवं टेली	5
		कुल	**20**

4.पुनर्नियोजन की **नियम एवं शर्तें अनुलग्नक–क** में संलग्न हैं।

5.आवेदन-पत्र का निर्धारित प्रारूप **अनुलग्नक–ख** में संलग्न है।

6. आवेदन केवल **ऑनलाइन माध्यम** से निम्नलिखित प्रत्यक्ष वेबसाइट लिंक के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएँगे—
https://www.nfrlyconstruction.org/

जारी......

7. पुनर्नियोजन रेलवे बोर्ड के **आरबीई संख्या 96/2024**, पत्र संख्या **E(NG)II/2024/RC-4/9** दिनांक **15.10.2024** तथा **आरबीई संख्या 115/2024**, पत्र संख्या **E(NG)II/2024/RC-4/9** दिनांक **31.12.2024** में निहित प्रावधानों के अनुसार विनियमित होगा।

टिप्पणीः यह योजना 31.12.2026 तक ही प्रभावी रहेगी।

संलग्नकः-

(i) नियम एवं शर्तें (अनुलग्नक–क)

(ii) रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या आरबीई 96/2024 दिनांक 15.10.2024।

(iii) रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या आरबीई 115/2024 दिनांक 31.12.2024।

टी.एस.मेस

(टी.एस.मेस)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/नि/मालीगांव
कृते महाप्रबंधक (कार्मिक)/नि
पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, मालीगांव

क्रमशः.....

अनुलग्नक–क

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पुनर्नियोजन हेतु नियम एवं शर्तें

1. प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार रिक्त पदों के लिए **वेतन स्तर–1 से वेतन स्तर–9 तक** से सेवानिवृत्त अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को पुनर्नियोजन हेतु विचार किया जाएगा। तथापि, उनका पुनर्नियोजन केवल उसी **वेतन स्तर के पद** पर किया जाएगा, जिस वेतन स्तर के पद से वे सेवानिवृत्त हुए थे।
2. ऐसे कर्मचारियों के पुनर्नियोजन से पूर्व, प्रचलित व्यवस्था के अनुसार सक्षम नामित चिकित्सीय प्राधिकारी से संबंधित चिकित्सीय श्रेणी का **चिकित्सीय उपयुक्तता प्रमाण पत्र-Medical Fitness** प्राप्त किया जाएगा।
3. पुनर्नियोजन हेतु विचार किए जाने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी **सुरक्षा संबंधी सेवानिवृत्ति योजना)Safety Related Retirement Scheme–SRRS)** अथवा **सुरक्षा कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित रोजगार हेतु उदारीकृत सक्रिय सेवानिवृत्ति योजना)LARSGESS)** के अंतर्गत सेवानिवृत्त नहीं होने चाहिए।
4. **आयु सीमा** :दिनांक **20 जुलाई, 2026** को अभ्यर्थी की आयु **64 वर्ष से कम** होनी चाहिए। पुनर्नियोजन अधिकतम **65 वर्ष की आयु** तक ही जारी रखा जाएगा।
5. यह योजना आदेश जारी होने की तिथि से प्रारंभ होकर **दो वर्ष** अथवा अगले आदेश जारी होने तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी। प्रत्येक सेवानिवृत्त कर्मचारी का पुनर्नियोजन प्रारंभिक रूप से **एक वर्ष** अथवा अगले आदेश जारी होने तक, जो भी पहले हो, के लिए किया जाएगा।
6. प्रशासन को यह अधिकार होगा कि वह पुनर्नियोजित कर्मचारी की सेवाएँ पुनर्नियोजन अवधि पूर्ण होने से पूर्व भी **07 (सातदिवस का नोटिस (** देकर समाप्त कर सके।
7. रेलवे भर्ती बोर्ड)RRB), रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ)RRC) अथवा विभागीय चयन के माध्यम से चयनित नियमित अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण करते ही पुनर्नियोजित कर्मचारी की सेवाएँ तत्काल समाप्त कर दी जाएँगी।
8. पुनर्नियोजित कर्मचारी को मंडल अथवा निर्माण संगठन की किसी इकाई का प्रभारी नहीं बनाया जाएगा। उन्हें किसी प्रकार की **वित्तीय शक्तियाँ** अथवा **अनुशासन एवं अपील नियम)D&AR) संबंधी शक्तियाँ** प्रदान नहीं की जाएँगी तथा वे किसी प्रकार का **सुरक्षा प्रमाणपत्र-** जारी करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे। तथापि, वे वित्तीय एवं अन्य प्रशासनिक विषयों पर नियमितकार्यरत कर्मचारियों अथवा अधिकारियों को अपनी अनुशंसाएँ एवं / सुझाव दे सकेंगे।

उपयुक्तता एवं सक्षमता निर्धारण

पुनर्नियोजन से पूर्व संबंधित **इकाई/कार्यशाला/मंडल/** स्तर पर गठित उपयुक्त समिति द्वारा सुरक्षा तथा अन्य परिचालन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सेवानिवृत्त कर्मचारी की **उपयुक्तता एवं सक्षमता** का आकलन किया जाएगा।

प्रत्येक पुनर्नियोजन का निर्णय कार्य की आवश्यकता तथा संबंधित व्यक्ति की उपयुक्तता एवं योग्यता के आधार पर किया जाएगा। समिति द्वारा कर्मचारी के कार्यानुभव का भी समुचित मूल्यांकन किया जाएगा ताकि चयनित कर्मचारी उस उद्देश्य की प्रभावी पूर्ति कर सके जिसके लिए उसका पुनर्नियोजन किया जा रहा है।

10.पुनर्नियोजन के उद्देश्य से आवेदन करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पिछले पाँच वर्षों की वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन (APAR) पर विचार किया जाएगा। केवल वे अभ्यर्थी, जिन्हें उक्त पाँचों वर्षों में कम-से-कम "अच्छा (Good)" ग्रेड प्राप्त हुआ हो, पुनर्नियोजन हेतु विचारणीय होंगे।

11.प्रत्येक प्रकरण का परीक्षण उसकी आवश्यकता एवं गुण-दोष (Merits) के आधार पर प्रकरण-विशेष (Case-Case Basis) के अनुसार किया जाएगा।

12. पुनर्नियोजन की अनुमति प्रदान करते समय संबंधित कर्मचारी की सत्यनिष्ठा (Integrity) का भी परीक्षण किया जाएगा।

13. पुनर्नियोजन हेतु विचार किए जाने वाले कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक एवं अपील नियम (D&AR) अथवा सतर्कता (Vigilance) संबंधी कोई प्रकरण लंबित नहीं होना

पारिश्रमिक

पुनर्नियोजित सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देय **पारिश्रमिक, भत्ते एवं अवकाश** भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या **F. No. 3-25/2020-E.IIIA** दिनांक **09.12.2020** के प्रावधानों के अनुसार देय होंगे, जिनका विवरण निम्नलिखित है—

(क) संविदा अवधि के दौरान देय **नियत मासिक पारिश्रमिक** का निर्धारण सेवानिवृत्ति के समय आहरित मूल वेतन में से **मूल पेंशन** की राशि घटाकर किया जाएगा। इस प्रकार निर्धारित पारिश्रमिक संविदा अवधि के दौरान अपरिवर्तित रहेगा।

(ख) संविदा अवधि के दौरान **वार्षिक वेतनवृद्धि (Increment), महँगाई भत्ता (Dearness Allowance)** तथा **मकान किराया भत्ता (House Rent Allowance-HRA)** देय नहीं होंगे

(ग(निवास स्थान एवं कार्यस्थल के मध्य आवागमन के उद्देश्य से **परिवहन भत्ता)Transport Allowance)** नियत एवं एकमुश्त राशि के रूप में देय होगा, जो सेवानिवृत्ति के समय संबंधित कर्मचारी को देय दर से अधिक नहीं होगा। इस प्रकार निर्धारित परिवहन भत्ते की राशि नियुक्ति अवधि के दौरान अपरिवर्तित रहेगी। तथापि, यदि कर्मचारी को शासकीय कार्य से दौरे पर भेजा जाता है, तो उसे सेवानिवृत्ति के समय उसकी पात्रता के अनुसार **यात्रा भत्ता) दैनिक भत्ता/TA/DA)** देय होगा।

(घ(प्रत्येक पूर्ण सेवा माह के लिए **1.5 (डेढ़दिवस (** की दर से सवेतन अवकाश प्रदान किया जा सकेगा। तथापि, एक कैलेंडर वर्ष से अधिक अवधि के लिए अवकाश का संचयन)Accumulation) अनुमन्य नहीं होगा।

14. पुनर्नियोजित कर्मचारी प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार निर्धारित कार्य पर उपस्थित रहेंगे। कार्य की आवश्यकता के अनुसार प्रशासन द्वारा उनके **कार्य-घंटों (Duty Hours)** में परिवर्तन किया जा सकेगा। पुनर्नियोजित कर्मचारी किसी भी प्रकार के अवकाश, जैसे **आकस्मिक अवकाश (CL), प्रतिबंधित अवकाश (RH), अर्जित अवकाश (LAP), बीमारी अवकाश (Sick Leave)** आदि के पात्र नहीं होंगे। यदि वे किसी कारणवश अनुपस्थित रहते हैं, तो अनुपस्थिति की अवधि के लिए उनके मासिक पारिश्रमिक से नियमानुसार कटौती की जाएगी।

15. पुनर्नियोजित किए जाने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी को पुनर्नियोजन की सभी नियमों एवं शर्तों का पालन करने के लिए एक अनुबंध (Agreement) निष्पादित करना होगा।

16. पुनर्नियोजन के इच्छुक सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों को अनुलग्नक–ख में दिए गए निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन केवल ऑनलाइन (ONLINE) माध्यम से प्रस्तुत करना होगा।

17. आवेदन के साथ निम्नलिखित अनिवार्य दस्तावेजों की स्वप्रमाणित/विधिवत् सत्यापित (Attested) छाया प्रतियाँ ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा—

i) पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) की प्रति।

(ii) पेंशनभोगी पहचानपत्र की प्रति।-

(iii) **बैंक** पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति, जिसमें **बैंक खाता संख्या** एवं **आईएफएससी कोड** स्पष्ट रूप से अंकित हो।

(iv) स्थायी खाता संख्या (**पैन कार्ड**) की प्रति।

(v) आधार कार्ड (**Aadhaar Card**) की प्रति।

(vi) पासपोर्ट आकार के नवीनतम रंगीन फोटोग्राफ (**कागजात सत्यापन** के समय **03 प्रतियाँ** प्रस्तुत)करनी होंगी।

18. आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई, 2026 होगी। उक्त कट-ऑफ तिथि, अर्थात 20 जुलाई, 2026 के पश्चात प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इस संबंध में समस्त पत्राचार केवल पूर्वोत्तर सीमा रेल (निर्माण संगठन) की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही किया जाएगा।

19. पात्र अभ्यर्थियों को संबंधित इकाई/मंडल/कार्यशाला द्वारा उपयुक्त तिथि निर्धारित कर साक्षात्कार (Interview) हेतु पृथक रूप से आमंत्रित किया जाएगा।

End : Application form.

(टी.एस.मेस)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/नि/मालीगांव
कृते महाप्रबंधक (कार्मिक)/नि
पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, मालीगांव

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेत प्रेषित:

1. महाप्रबंधक/निर्माण के सचिव – महाप्रबंधक/निर्माण/पू.सी.रेलवे के सादर सूचनार्थ
2. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/नि.-1, 2 & 3
3. मुख्य इंजीनियर/नि.-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 & 9
4. मुख्य जनसंपर्क अधिकारी/ पू.सी.रेलवे - इनसे अनुरोध है कि उक्त अधिसूचना का प्रकाशन पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी प्रमुख समाचारपत्रों सहित पश्चिम बंगाल-, बिहार तथा राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख समाचारपत्रों में कराने का कष्ट क-रें।
5. जीएस/एनएफआरईयू, एनएफआरएमयू, एआईएससीटीआरईए, एनएफआरओबीसीईए, एनएफआरपीएफए
6. महाप्रबंधक/निर्माण/पू.सी.रेलवे/मालीगांव एवं पीसीपीओ/पू.सी.रेलवे/मालीगांव कार्यालय के सूचना बोर्ड के लिए

कृते महाप्रबंधक /नि

अनुलग्नक-ख

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पुनर्नियोजन हेतु ऑनलाइन आवेदनपत्र का प्रारूप-

महाप्रबंधक निर्माण/(कार्मिक), पूर्वोत्तर सीमा रेल की अधिसूचना संख्या E/283/Con/Non-Gaz/Re-Engagement दिनांक 30.06.2026 के संदर्भ में।

विधिवत् भरा हुआ आवेदन पत्र केवल-PDF प्रारूप में निम्नलिखित प्रत्यक्ष वेबसाइट लिंक के माध्यम से ऑनलाइ प्रस्तुत किया जाए—
https://www.nfrlyconstruction.org/

हालही का पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटोग्राफ

सेवा में,

....

....

जिस विभाग हेतु आवेदन किया जा रहा है : ....

जिस पद हेतु आवेदन किया जा रहा है (अधिसूचना के अनुसार) : ....

हस्ताक्षर

मैं, अधोहस्ताक्षरी, उक्त अधिसूचना में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन मासिक पारिश्रमिक के आधार पर पुनर्नियोजन हेतु आवेदन प्रस्तुत करता/करती हूँ। मेरे सेवा संबंधी विवरण निम्नानुसार हैं—

1. **नाम (अंग्रेज़ी के बड़े अक्षरों में) :** ....
2. **पितापति का नाम/ :** ....
3. **शैक्षिक योग्यता :** ....
4. **सेवानिवृत्ति के समय धारित पदनाम :** ....
5. **जिस कार्यालय से सेवानिवृत्त हुए :** ....
    - **इकाई :** ....
    - **विभाग :** ....
    - **स्थान :** ....
6. **जन्म तिथि :** ....
7. **नियुक्ति की तिथि :** ....
8. **सेवानिवृत्ति की तिथि :** ....
9. **सेवानिवृत्ति के समय अंतिम आहरित वेतन :** ....

    वेतन स्तर एवं मूल वेतन : ....

10. **पीसंख्या एवं दिनांक .ओ.पी. :** ....
11. **पैन संख्या :** ....
12. **आधार संख्या :** ....
13. **बैंक खाता संख्या (जिसमें मासिक पारिश्रमिक जमा किया जाएगा) :** ....
14. **पत्राचार का पता :** ....
    ....
15. **मोबाइल संख्या :** ....

संलग्नक (दस्तावेजों की प्रतियाँ)

क. पेंशन भुगतान आदेश

ख. पेंशनभोगी पहचान पत्र

ग. बैंक पास्बुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति, जिसमें खाता संख्या एवं आईएफएससी कोड अंकित हो।

घ. पैन कार्ड

ङ. आधार कार्ड

च. दस्तावेज सत्यापन के समय पास्पोर्ट आकार के 3 रंगीन फोटोग्राफ प्रस्तुत करने होंगे।

मैं इसके द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई सूचना मेरी जानकारी के अनुसार सही है और यदि यह गलत/अशुद्ध पाई जाती है, तो मैं दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हूँ। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने अधिसूचना में बताई गई शर्तों और नियमों को पढ़ लिया है और मैं उनका पालन करूँगा/करूँगी। मैं SRRS के तहत सेवानिवृत्त नहीं हुआ/हुई हूँ।

स्थान : .... **आवेदक के हस्ताक्षर :** ....

दिनांक : .... **आवेदक का नाम :** ....